

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2021-फाल्गुन-14, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम सुमन उपाध्याय पुत्री स्व. श्री केशव दास उपाध्याय, निवासी-नगर भवन के पास, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश था एवं सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में भी यही नाम है. दिनांक 15-12-1991 को मेरा विवाह श्री राजेन्द्र पाण्डे पुत्र स्व. श्री दामोदर प्रसाद पाण्डे, निवासी 490, हरगोविन्दपुरम, यूनीवर्सिटी मार्ग, ग्वालियर के साथ सम्पन्न हो जाने के उपरांत अब मेरा नाम श्रीमती सुमन पाण्डे पत्नी श्री राजेन्द्र पाण्डे हो गया है. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम श्रीमती सुमन पाण्डे पत्नी श्री राजेन्द्र पाण्डे अंकित किया जाये. अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सुमन उपाध्याय)

पिता-स्व. श्री केशव दास उपाध्याय.

(738-बी.)

नया नाम :

(सुमन पाण्डे)

पत्नी- श्री राजेन्द्र पाण्डे,
पता-490, हरगोविन्दपुरम, यूनीवर्सिटी मार्ग,
ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. सविता डोटे पुत्री श्री शैलेन्द्र सिंह डोटे, निवासी कल्याणम/ परिसर, कन्हैया पुरी, कसारी डी, दुर्ग (छत्तीसगढ़) था एवं सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में भी यही नाम है. दिनांक 11-06-2014 को मेरा विवाह श्री अतुल कुमार वर्मा पुत्र स्व. श्री कुंजबिहारी लाल वर्मा, निवासी मकान नं. 100, अपना घर कॉलोनी, बहोड़ापुर, ग्वालियर के साथ सम्पन्न हो जाने के उपरांत अब मेरा नाम श्रीमती सविता वर्मा पत्नी श्री अतुल कुमार वर्मा हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा सभी दस्तावेजों में यही नाम मान्य हो.

पुराना नाम :

(सविता डोटे)

पिता-श्री शैलेन्द्र सिंह डोटे,

(718-बी.)

नया नाम :

(सविता वर्मा)

पत्नी-श्री अतुल कुमार वर्मा,
पता-मकान नं. 100, अपना घर कॉलोनी,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अंकसूची में मेरा नाम शांतिपाल सिंह परिहार अंकित है। वह मेरे आधारकार्ड, पैनकार्ड एवं वोटरकार्ड में पप्पू परिहार है। दोनों ही नाम मेरे एक व्यक्ति के हैं। अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम पप्पू परिहार के स्थान पर शांतिपाल सिंह परिहार अंकित किया जाये।

पुराना नाम :

(पप्पू परिहार)

(737-बी.)

नया नाम :

(शांतिपाल सिंह परिहार)

पिता-श्री देशराज सिंह परिहार,
पता-मकान नं. 100, अपना घर कॉलोनी,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, देवकर शर्मा पुत्र श्री मवासीराम शर्मा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि, मेरा घर का बचपन का बोलता नाम दिवाकर शर्मा था। जो मेरे भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी क्र. एवं अन्य प्रपत्र में लिखा गया है। जो कि गलत है। जबकि वर्तमान में मुझे देवकर शर्मा पुत्र श्री मवासीराम शर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है। जो मेरे शासकीय, अशासकीय प्रपत्र जैसे आधारकार्ड, बैंक पासबुक एवं वोटरकार्ड इत्यादि में अंकित है। दिवाकर शर्मा एवं देवकर शर्मा मेरे ही नाम है एवं भविष्य में भी मैं, देवकर शर्मा के नाम से जाना, पहचाना जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम दिवाकर शर्मा के स्थान पर सही नाम देवकर शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(दिवाकर शर्मा)

(734-बी.)

नया नाम :

(देवकर शर्मा)

पुत्र-मवासीराम शर्मा,
तहसील पोरसा, जिला मुरैना.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, इकबाल खान पुत्र श्री नथू पूर्व में मेरा नाम इकबाल पुत्र नथू था। अब मैं, इकबाल खान पुत्र श्री नथू के नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ यही नाम मान्य व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(इकबाल)

(719-बी.)

नया नाम :

(इकबाल खान)

पिता-श्री नथू,
पता-मकान नं. सी-25, मयूर विहार कॉलोनी,
अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

आम जनता सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, अमन गौड़ (ठाकुर) मधुकरशाह वार्ड, यादव कॉलोनी, तहसील सागर (म.प्र.) का निवासी हूँ मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अमन गौड़ लेख है तथा मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लायसेंस एवं बैंक खाते में भी मेरा नाम अमन गौड़ अंकित है। अब मैं, अपने सरनेम 'गौड़' के स्थान पर 'ठाकुर' सरनेम करना चाहता हूँ अतः मुझे इस प्रकाशन के पश्चात् से गौड़ के स्थान पर ठाकुर उपनाम से संबोधित कर मुझे पूरे नाम अमन ठाकुर के नाम व उपनाम से जाना व पहचाना जावे। अतः सूचना जाहिर हो।

पुराना नाम :

(अमन गौड़)

(720-बी.)

नया नाम :

(अमन ठाकुर)

निवासी-यादव कॉलोनी, मधुकरशाह वार्ड,
तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्वेत आंबराय बक्शी पुत्र श्री शैलेन्द्र बक्शी सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि, मेरा नाम श्वेत आंबराय था जो कि शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है जो कि गलत है। जबकि मैं वर्तमान में श्वेत आंबराय बक्शी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा हस्ताक्षर करता हूँ जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड इत्यादि में लिखा गया है। अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम श्वेत आंबराय के स्थान पर श्वेत आंबराय बक्शी लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(श्वेत आंबराय)

(735-बी.)

नया नाम :

(श्वेत आंबराय बक्शी)

पुत्र-श्री शैलेन्द्र बक्शी,
निवासी-215-ए, मोहन नगर, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, ऋतु पाण्डे पिता स्व. डॉ. मेजर आ. के. पाण्डे, उम्र 49 वर्ष, व्यवसाय डॉक्टर, के नाम से जानी जाती हूँ तथा मेरी अंकसूची में भी उक्त नाम और सरनेम अंकित है. विवाहोपरांत मेरा सरनेम पाण्डे से दत्त हो गया था. अब वर्तमान में मेरा तलाक हो जाने से मैं, अपना सरनेम बदलकर पूर्वानुसार कर रही हूँ. अतः प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में मुझे डॉ. ऋतु पाण्डे के नाम से जाना जावेगा.

पुराना नाम :

नया नाम :

(ऋतु दत्त)

(ऋतु पाण्डे)

(739-बी.)

PUBLIC NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s ANJALI CONSULTANTS" of Jabalpur vide Reg. No. 04/14/07/00211/15, Date of Registration 02-01-2015 undergone the following changes:-

1. This is to bring to your kind information that we the partners of Anjali Consultants (Firm registration No. 04/14/07/00211/15) having its registered office at H. No. R-11, Behind Bangali Petrol Pump, Kheri Panaghar, Jabalpur (M.P.) are shifting our registered address to Flat No. 602, Block-C, Pebble Heights, Katara, Bhopal-462020 (M.P.).

M/s Anjali Consultants,
For-ANJALI TRIPATHI,
(Partner)

Flat No. 602, Block-C, Pebble Heights,
Katara, Bhopal-462020 (M.P.).

(721-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसर्स ज्योति इंटरप्राइजेस" पंजीयन क्रमांक 01/0/01/00062/2012, दिनांक 22-05-2012 पंजीकृत कार्यालय भगवती भवन 84, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.) है. यह कि श्री गोविन्द राम भम्भानी पिता श्री उत्तमचंद भम्भानी का देहांत दिनांक 19-12-2020 को होने के कारण श्रीमती दीया भम्भानी पति श्री नीतेश भम्भानी जी को दिनांक 05-02-2021 को इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है तथा फर्म का मुख्य स्थान ए-सेक्टर, भागवती भवन, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल म.प्र. किया गया है.

M/s. Jyoti Enterprises,
For-NITESH BHAMBHANI,
(Partner)

A-Sector, Bhagwati Bhawan,
Vijay Nagar, Lalghati, Bhopal (M.P.).

(722-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मेसर्स देवी अजोध्या कोल्ड स्टोरेज, पता-ग्राम बरवाल, ए. बी. रोड, जिला शाजापुर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 07/36/01/00025/10, दिनांक 14-07-2010 है. जिसमें दिनांक 02-05-2019 को श्री रामकृष्ण पाटीदार पिता श्री दिनेश कुमार जी पाटीदार, पता ग्राम रामपुरा मेवासा, पोस्ट सुनेरा, जिला शाजापुर (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है तथा जिसमें दिनांक 03-05-2019 को श्रीमती हेमा पाटीदार पति स्व. श्री रामकृष्ण जी पाटीदार, पता एन-23, पाटीदार मोहल्ला, ग्राम मेवासा, पोस्ट सुनेरा, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) को नये भागीदार के रूप में फर्म मेसर्स देवी अजोध्या कोल्ड स्टोरेज, पता ग्राम बरवाल ए. बी. रोड, जिला शाजापुर (म.प्र.) में प्रवेश हुआ है. वर्तमान में इस फर्म मेसर्स देवी अजोध्या कोल्ड स्टोरेज में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे.

फर्म-देवी अजोध्या कोल्ड स्टोरेज,

हेमा पाटीदार, महेश पाटीदार, गोविन्द पाटीदार,
परमानन्द पाटीदार, संजय पाटीदार, गजेन्द्र पाटीदार,

(723-बी.)

(पार्टनर).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स रूद्राया मिनरल एण्ड माइंस, 101, बीरेन्द्र विलास, एस. पी. ऑफिस के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र. जोकि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी ग्वालियर संभाग ग्वालियर में पंजीयत है. जिसका पंजीयन नं. 02/42/01/0182/20, दिनांक 14-10-2020 है. उक्त फर्म से भागीदार क्रमांक 1. श्री अर्पित जैन पुत्र श्री अनिल कुमार जैन, उम्र 29 वर्ष, पता 125, शारदा विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र. व भागीदार क्रमांक 2. श्री अभिषेक कुमार जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन, उम्र 39 वर्ष, पता सी-204, क्लासिक स्वास्तिक सिटी, मंगल नगर सुखालिया, इन्दौर म.प्र. एवं भागीदार क्रमांक 4. श्री तुष्पुल झा पुत्र श्री प्रभात झा, उम्र 32 वर्ष, पता-31, 74 बंगला, हुजूर, भोपाल म.प्र. को दिनांक 29-01-2021 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है. अब इनका इस फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है एवं इनके स्थान पर नवीन भागीदार क्रमांक 5. श्री प्रदीप यादव पुत्र श्री राज बहादुर, उम्र 36 वर्ष, पता नागला मुरली पलिया राहू हिरसा दोयम पोस्ट सलेमपुर जसराना, फिरोजाबाद उ.प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 29-01-2021 को सम्मिलित किया जा रहा है. और ये फर्म के चालू रहने वाले एवं अन्य साझेदारों को स्वीकार है. शेष बचे पार्टनर सभी प्रकार के हानि लाभ या लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार रहेंगे.

For-Rudraya Mineral And Mines,

AMIT KUMAR,

(Partner).

(724-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम मेसर्स महावीर ग्रुप जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 06/09/01/0152/18, दिनांक 20 फरवरी, 2018 एवं फर्म का पता म. नं. 02, बियर हाऊस के पास गोपालगंज सागर, जिला सागर में स्थित है. जिसमें दिनांक 18 फरवरी, 2021 को श्री मनोज दुबे पिता श्री लक्ष्मीनारायण दुबे आयु 41 वर्ष, निवासी-1713 रजाखेड़ी, शंकरगढ़ ग्राम रजाखेड़ी, सागर म.प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये है. आमजन तथा सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स महावीर ग्रुप,

चन्द्रप्रकाश शर्मा,

(भागीदार).

(725-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स शनि ग्रेनाईट्स एण्ड स्टोन्स, फ्लैट नं. 102, श्यामा इन्लैव, इन्द्रमणी नगर गोला का मंदिर, ग्वालियर म.प्र. जोकि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी ग्वालियर संभाग ग्वालियर में पंजीयत है. जिसका पंजीयन नं. 02/42/01/0340/18, दिनांक 23 मार्च, 2018 है. उक्त फर्म से भागीदार क्रमांक 2. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री सियाराम सिंह तोमर, उम्र 42 वर्ष, पता-एस. एल. पी. कॉलेज के पास, सी-59, सूरी नगर सी. पी. कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर म.प्र. एवं भागीदार क्रमांक 3. श्री आनंद सिंह कुशवाह पुत्र श्री जितेन्द्र कुशवाह, उम्र 30 वर्ष, पता गोवर्धन कॉलोनी, गोला का मंदिर, ग्वालियर म.प्र. को दिनांक 01-02-2021 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है. अब इनका इस फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है एवं इनके स्थान पर नवीन भागीदार श्री रोहितास सिंह पुत्र स्व. श्री परमेश्वरी सिंह राठौर, उम्र 49 वर्ष, पता बी-804, ज्योति सुपर गारडनिया, 2. माल रोड शांती गोपाल हॉस्पिटल के पास अहिंसा खण्ड-2, इन्द्रपुरम शिप्रा सनसिटी गाजियाबाद उ.प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 01-02-2021 को सम्मिलित किया जा रहा है और ये फर्म के चालू रहने वाले एवं अन्य साझेदारों को स्वीकार है. शेष बचे पार्टनर सभी प्रकार के हानि लाभ या लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार रहेंगे. दिनांक 01-02-2021 से फर्म के वर्तमान पते में भी परिवर्तन किया गया है. फर्म का वर्तमान पता फ्लैट नं. 102, श्यामा इन्लैव, इन्द्रमणी नगर गोला का मंदिर, ग्वालियर म.प्र. था. अब उसके स्थान पर फर्म का नवीन पता 101, बीरेन्द्र विलास, पटेल नगर, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र. हो गया है.

For-Shani Granite & Stones,

AMIT KUMAR,

(Partner).

(726-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज, 10 नेहरू नगर, आनंद नगर चौराहा के पास, बहोड़ापुर, ग्वालियर म.प्र. जो कि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर में पंजीयत है. जिसका पंजीयन नं. 02/42/01/0278/20, दिनांक 15 जनवरी, 2020 है. उक्त फर्म में भागीदार क्रमांक 3. श्री मनोज कुमार दयानी पुत्र श्री लीलाराम दयानी, उम्र 47 वर्ष पता डॉ वर्मा की गली रॉकसी टॉकीज के पास लश्कर, ग्वालियर म.प्र. एवं भागीदार क्रमांक 4. श्री पुनीत दयानी पुत्र श्री दयाल दास दयानी उम्र 23 वर्ष,

पता-10/07 डॉ वर्मा की गली रॉक्सी टॉकीज के पास लश्कर, ग्वालियर म.प्र. को अपनी फर्म दिनांक 02-01-2021 को सम्मिलित किया जा रहा है और ये फर्म के चालू रहने वाले एवं अन्य साझेदारों को स्वीकार है। सभी पार्टनर सभी प्रकार के हानि-लाभ या लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार रहेंगे।

(727-बी.)

मैसर्स श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज,
रवि गुप्ता,
(भागीदार).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सुमन इन्फ्रास्ट्रक्चर पता 01, शारदा विहार कॉलोनी, सिविल लाईन, दतिया (म.प्र.) है। जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/41/01/00041/07, दिनांक 23-08-2007 है। जिसमें दिनांक 24-01-2021 को भागीदार श्री कुलदीप अवस्थी का स्वर्गवास हो जाने से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 25-01-2021 को (1) श्री अरूण अवस्थी पुत्र श्री कुलदीप अवस्थी एवं श्रीमती नीलम अवस्थी पत्नि श्री अरूण अवस्थी, निवासीगण 01, शारदा विहार कॉलोनी, सिविल लाईन, दतिया फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(728-बी.)

मैसर्स सुमन इन्फ्रास्ट्रक्चर,
सुमन अवस्थी,
(भागीदार)
01, शारदा विहार कॉलोनी, सिविल लाईन,
दतिया (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राकेश स्ट्रैक्चर्स एण्ड इंजीनियर्स जो 14/317, पुरानी गल्ला मण्डी, गुना म.प्र. में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/01/0332/21, दिनांक 18 फरवरी, 2021 है। जो दिनांक 01-04-2010 से प्रभावशील है। जिसमें दिनांक 04-06-2020 को भागीदार श्री धर्मचंद पुत्र श्री मूलचंद जैन, निवासी-पुरानी गल्ला मण्डी, गुना, जिला गुना, म.प्र. की मृत्यु हो जाने से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा दिनांक 07-06-2020 को भागीदार क्रमांक 1. श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, 2. राकेश कुमार जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, 3. हर्षित जैन पुत्र श्री सुनील कुमार जैन, 4. श्रीमती एकता जैन पत्नी श्री राकेश कुमार जैन, निवासीगण पुरानी गल्ला मण्डी, गुना, जिला गुना, म.प्र. फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

(729-बी.)

मैसर्स राकेश स्ट्रैक्चर्स एण्ड इंजीनियर्स,
कैलाशचंद,
(भागीदार)
14/317, पुरानी गल्ला मण्डी,
गुना (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Bhagwati Infratech जो 302, बजरंग प्लाजा, तुलसी बिहार, सिटी सेन्टर, गिर्द, ग्वालियर म.प्र. में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0318/21, दिनांक 17 फरवरी, 2021 है। जो दिनांक 10-07-2020 से प्रभावशील है। जिसमें दिनांक 01-01-2021 से भागीदार श्री मोनिका मौर्य पुत्री श्री विध्याराम मौर्य, निवासी-750, हरिराम पुरा मालनपुर, जिला भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई है एवं इसी दिनांक 01-01-2021 को श्रीमती आरती गौर पत्नी श्री कमलेश कुमार गौर, निवासी-199 नन्दे का पुरा डगरा, मुरैना एवं श्रीमती दीप्ती मौर्य पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी-तिकोनिआ पार्क सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(730-बी.)

फर्म-M/s Bhagwati Infratech,
चेतन प्रकाश गुप्ता,
(भागीदार)
302, बजरंग प्लाजा, तुलसी बिहार,
सिटी सेन्टर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s A K Trading Company जो फस्ट फ्लोर मां भगवती अर्पाटमेंट नियर सिल्वर ओक होटल, सिटी सेंटर, ग्वालियर में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0305/20, दिनांक 11-02-2020 है। जिसमें दिनांक 26-06-2020 को भागीदार क्र. 1 कृ. आरती शिवहरे पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण शिवहरे, निवासी-बी-17, अशोक बिहार तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर क्र.2 श्रीमती निशा शिवहरे पत्नि श्री रविन्द्र शिवहरे, निवासी ए. बी. रोड, कोलारस, शिवपुरी क्र.3 श्री तरूण शिवहरे पुत्र श्री आर. के. शिवहरे, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-M/s A K Trading Company,
संजीव शिवहरे,
(भागीदार)

(731-बी.)

फस्ट फ्लोर मां भगवती अर्पाटमेंट नियर
सिल्वर ओक होटल, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भूरे सिंह यादव जो 494, वाटर वर्क्स रोड, बिजली घर के सामने भिण्ड में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/43/07/0108/15, दिनांक 02-09-2015 है। फर्म दो भागीदार भूरे सिंह यादव एवं मनीष यादव के द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसमें दिनांक 01-02-2021 को एक भागीदार श्री मनीष यादव पुत्र श्री ज्ञान सिंह यादव, निवासी शांति कॉलोनी, इटावा उ.प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो जाने से फर्म स्वतः विघटित (भंग) हो गयी है। दिनांक 01-02-2021 के पश्चात् फर्म का संचालन भूरे सिंह यादव के द्वारा प्रोपराइटर के रूप में संचालित की जायेगी। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मैसर्स भूरे सिंह यादव,
भूरे सिंह यादव,
(भागीदार)

(732-बी.)

494, वाटर वर्क्स रोड, बिजली घर के सामने,
भिण्ड (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सालासर बालाजी रीयल इन्फ्रा जो 19-ए, बलवंत नगर, ग्वालियर में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00001/12, दिनांक 05-04-2012 है। जिसमें दिनांक 28-12-2020 को भागीदार 1. राजकुमार कुकरेजा पुत्र श्री लक्ष्मी चंद अरोरा, निवासी-डी-14, न्यू गोविंद पुरी, उषा कॉलोनी, ग्वालियर, 2. सुनील खांडुजा पुत्र स्व. श्री उत्तम चंद खांडुजा, निवासी विला नं. सी-101, खांडुजा मानोर, डी.बी. सिटी मुरार, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 28-12-2020 को भागीदार 1. श्री लाल सिंह यादव पुत्र श्री ज्ञान सिंह यादव, निवासी-थाटीपुर मुरार, ग्वालियर, 2. श्री जीतेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री अंगद सिंह कुशवाह, निवासी एम-52, गाँधीनगर, ग्वालियर, 3. श्रीमती शोभना शर्मा पुत्री श्री रघुवार दयाल बरूआ, निवासी 19-ए, बलवंत नगर, ग्वालियर फर्म से पृथक् हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मेसर्स सालासर बालाजी रीयल इन्फ्रा ,
वैभव शर्मा,
(भागीदार)

(733-बी.)

19-ए, बलवंत नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं लोक न्यास पंजीयक अनुभाग लहार, जिला-भिण्ड

प्र.क्र.0002/ब-113/2019-20.

लहार, दिनांक 11 फरवरी, 2021

प्रारूप-4

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 धारा-5 की उपधारा(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]
लोक न्यास का पंजीयक अनुभाग लहार, जिला भिण्ड के समक्ष.

यतः कि श्री रामरतन सविता पुत्र श्री राम भरोसे सविता, निवासी वार्ड नं. 3 भाटनताल रोड लहार, जिला भिण्ड म.प्र. ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 12 मार्च, 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः मैं अनुभाग लहार, जिला भिण्ड का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 12 मार्च, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : श्रीवास समाज ट्रस्ट.
2. लोक न्यास का पता : कस्बा लहार पोस्ट लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.).
3. लोक न्यास की संपत्ति : 5000 पांच हजार रुपये नगद धनराशि तथा अन्य साधन समाज से चन्दा द्वारा धन एकत्रित करना.

आर. ए. प्रजापति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(114)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, परगना व जिला-भिण्ड

प्र.क्र.0003/2020-21/बी-113(ट्रस्ट गठन).

भिण्ड, दिनांक 15 फरवरी, 2021

फार्म-4

[नियम (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री नरोत्तमसिंह नरवरिया, निवासी भिण्ड द्वारा (महारानी बीरांगना अवंतीबाई लोधी राजपूत छात्रावास न्यास) स्थित भीमनगर भिण्ड के नाम से ट्रस्ट गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के पेश किया गया।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : “महारानी बीरांगना अवंतीबाई लोधी राजपूत छात्रावास न्यास” भीमनगर भिण्ड.
2. चल संपत्ति : 1,21,000.00 रुपये अध्यक्ष के नाम से संयुक्त खाते में जमा.
3. अचल संपत्ति : भीमनगर, भिण्ड में स्थित छात्रावास जिसमें 01 हाल, 04 कक्ष, लेट-बाथ 11 दुकानें.

उदयसिंह सिकरवार,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(115)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इन्दौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री मनीष नीमा पिता श्री लक्ष्मीनारायण नीमा व अन्य, निवासी अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन के पास 79, इन्द्रलोक कॉलोनी, इन्दौर के द्वारा “श्री लक्ष्मीनारायण नीमा धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट” पता लोधीपुरा नं. 01, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री लक्ष्मीनारायण नीमा धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट”.
पता	:	लोधीपुरा नं. 01, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख मात्र) तथा
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

पराग जैन,
पंजीयक.

(116)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास, अनुभाग, राऊ-इन्दौर, जिला इन्दौर

संशोधित सूचना-पत्र

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत]

अंजूमन-ए-इमादी, दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, हैदरी कॉलोनी, इन्दौर को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	अंजूमन-ए-इमादी, दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, हैदरी कॉलोनी, इन्दौर.
पता	:	कार्यालय, हैदरी कॉलोनी, इन्दौर कम्युनिटी हॉल, हैदरी टाउनशीप, ब्लॉक-बी, बिजलपुर, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5152/-

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

PRATUL SINHA,
अनुविभागीय अधिकारी.

(118)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, हरसूद, जिला खण्डवा

रा.प्र.क्र. 0001/बी-113(1)/2020-21.

दिनांक 06 फरवरी, 2021

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत]

जैसा कि नागराज पिता सोमा नायक व अन्य 11, निवासी मौजवाडी रै. तहसील हरसूद, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 09 मार्च, 2021 को विचार किया जायेगा।

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

“अनुसूची”

सार्वजनिक न्यास का नाम	:-	श्री गणपति महाराज मंदिर ट्रस्ट मौजवाडी रै., तहसील हरसूद, जिला खण्डवा.
चल संपत्ति	:-	निरंक.
अचल संपत्ति	:-	ग्राम मौजवाडी रै. तहसील हरसूद, जिला खण्डवा स्थित भूमि ख.नं. 31 रकबा 2.02 हे.

आज दिनांक.....फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के अधीन जारी किया गया।

परिक्षित झाड़े,

आई. ए. एस.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

एवं पंजीयक.

(119)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक, मनावर-धरमपुरी क्षेत्र, जिला धार

प्र.क्र./बी-113/2020-21.

एतद्वारा सर्व-साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रामलाल भाई पाटीदार, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, गायत्री परिवार ट्रस्ट, धामनोद, निवासी गायत्री शक्तिपीठ महेश्वर रोड, रामपुरा धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) आदि-08 द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत कस्बा धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार, में “गायत्री परिवार ट्रस्ट, धामनोद, जिला-धार” के लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 की उपधारा-1 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किए जाने के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह स्वयं या मार्फत अधिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण के एक माह के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर, अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

3. यह विज्ञप्ति आज दिनांक 12 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

दिव्या पटेल,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(121)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि/2021/2363.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फतनपुर, पंजीयन क्रमांक 1195, दिनांक 31 मार्च, 2008 को आदेश क्रमांक 2160, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. अग्रवाल, सुपरवाइजर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1173, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक वर्तमान में परिसमापक है।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गई एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फतनपुर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ

एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(117)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि/2021/2363.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैराखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 549, दिनांक 07 मई, 1984 को आदेश क्रमांक 1383, दिनांक 03 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दन्देलिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1173, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से श्री पी एस निगवाल, सहकारी निरीक्षक वर्तमान में परिसमापक है।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गई एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैराखेड़ी का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री पी. एस. निगवाल, स.नि. को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(118)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री ए. पी. पारस, अध्यक्ष,
श्री रामसिंह जाट, उपाध्यक्ष,
श्री ए. के. प्रसाद, संचालक, श्री सुरेश चन्द्र, संचालक
श्री रतनलाल, संचालक, श्री धर्मजीत संचालक,
श्री राघवराम, संचालक, श्री एम. के., संचालक,
श्री सीताराम कुशवाह, संचालक, श्रीमती कलाबाई, संचालक,
आरक्षित वर्ग विद्युत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास।

क्र./परि/2021/2355.—आरक्षित वर्ग विद्युत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 953, दिनांक 27 जून, 2001 है। संस्था अध्यक्ष के आवेदन दिनांक 19 जनवरी, 2021 के अनुसार अवगत कराया गया है कि संस्था वर्ष 2013 से बन्द एवं अकार्यशील है एवं वर्तमान में संस्था में कोई भी सदस्य नहीं है न ही संस्था के पास किसी सदस्य की राशि जमा है। ऐसी स्थिति में संस्था को संचालित करना असंभव है। संस्था द्वारा सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है एवं आगे भी संस्था के संचालन की कोई संभावना नहीं है तथा

संस्था का कोई ऋण भी शेष नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। उपरोक्त स्थिति स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता हूँ।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 26 फरवरी, 2021 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना- पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

महेन्द्र कुमार दीक्षित,

उप-रजिस्ट्रार.

(124)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./21/क्यू — निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	अम्बे बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा	1053/27-01-2017	283/22-03-2019
2.	माँ भवानी महिला क्षेत्रीय स्वसहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा.	764/21-10-2010	294/27-03-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि कि दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 18 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

आर. के. कटारे,

सहकारी निरीक्षक.

(125)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगौन

दिनांक 05 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/क्यू — उप-आयुक्त सहकारी संस्थाएँ, खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक
1.	श्री व्यक्तेश क्रेडिट को आप. सोसा. लि., खरगौन	1883/10-03-2014	1438/11-11-2020
2.	सजुन साख सहकारी संस्था मर्या., गोगावां	1886/10-03-2014	1440/11-11-2020
3.	अन्नापूर्णा माय फण्ड साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	1873/10-03-2014	1435/11-11-2020
4.	राजराजेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	1871/10-03-2014	1434/11-11-2020

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम-1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से दोप. 03 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि कि दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था के रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों, अभिलेख, रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

सूचना आज दिनांक 05 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(122)

राधेश्याम चौहान,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगौन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

उप-आयुक्त सहकारी संस्थाएँ, खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक
1	2	3	4
1.	लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भुदरी	1869/10-03-2014	1456/11-11-2020
2.	किसान समृद्धि साख सहकारी संस्था मर्या., मंडलेश्वर	1899/10-03-2014	1443/11-11-2020
4.	माँ रेवा सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., सुलगांव	1885/10-03-2014	1439/11-11-2020

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम क्रमांक-57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें. त्रुटि कि दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(123)

आर. के. रोमडे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.



मध्य प्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2021-फाल्गुन-14, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 27 जनवरी, 2021

1. मौसम एवं वर्षा—ग्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा.
2. पारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव नहीं.
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई बन्द है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव नहीं.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति नहीं.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8					9			10			
8.	गुना :	गुना राधोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज	गेहूँ चना राई-सरसों मसूर अन्य	कम अधिक अधिक अधिक कम	10% 25%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा	गेहूँ जौ चना मटर मसूर	अधिक अधिक अधिक कम	0.05 0.02 2% 2% 2%	सामान्य समान समान सामान्य सामान्य	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त. 0
10.	निवाड़ी :	निवाड़ी पृथ्वीपुर ओरछा	राई-सरसों गेहूँ जौ चना	अधिक कम कम	5. . .	6.(अ).	6.(ब).	7.	8.	
11.	छतरपुर :	गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बिजावर बड़ा मलहरा महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना राई-सरसों जौ	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
37.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़	गेहूँ चना मसूर अन्य	अधिक कम अधिक	5% 5% 5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	गेहूँ मसूर चना	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	15% 15% 20%	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़	गेहूँ चना मटर	..	मसूर	कम अधिक सामान्य	10% 15% ..	सामान्य सामान्य सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
40.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	गन्ना तुअर गेहूँ चना मसूर	कम कम अधिक अधिक कम	60% 15% 2% 2% 2%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		गेहूँ	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		चना	समान	..	समान
	लाँजी	
	किरनापुर	
	बैहर	
	वारासिवनी	
	कटंगी	
	लालबर्वा	
	तिरोडी	
	परसवाड़ा	
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

(113)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.